न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
किशनाराम पुत्र अमलुराम जाति विश्नोई निवासी सांकड तहसील सांचौर हाल अध्यक्ष जम्बेशवर उघान सांकड, तहसील सांचौर जिला जालोर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक:– 15.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 55/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सांचौर के समक्ष पटवारी हल्का सांकड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने ग्राम सांकड की सरहद में खसरा नंबर 848 रकबा 1.00 हैक्टेर किस्म गोचर पर संवत 2072 में अवैध कब्जा कर वाडा चबूतरा बना दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 100 रूपये शास्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी में 300 नीम के पेड 200 खेजडी के व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

100 गुदे के पेड खडे है उक्त पेड सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत लगवाये है। उक्त पेडो की देखरेख अपीलांट करता है। पेडो को पानी पिलाने के लिए टांका बना हुआ है उसके पास एक चबुतरा है जिसमे पक्षीयो के लिए अनाज वगैरह डाला जाता है। उक्त पेडो के चारो ओर काटो की बाड की गई है। अपीलांट पर्यावरण प्रेमी होने के नाते पेड–पौधो की सेवा करता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की बिना विधिवत तामिल करवाये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया गया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया अपीलाण्ट ने ग्राम सांकड की सरहद में खसरा नंबर 848 रकबा 1.00 हैक्टेर किस्म गोचर पर संवत 2072 में अवैध कब्जा कर वाडा चबूतरा बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट ने ग्राम सांकड की सरहद में खसरा नंबर 848 रकबा 1.00 हैक्टेर किस्म गोचर पर संवत 2072 में अवैध कब्जा कर वाडा चबूतरा बनाने पटवारी हल्का सांकड द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 21.12.2015 की तारीख पेशी नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 21.12.2015 तहसीलदार सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया। हस्तगत प्रकरण में जहां तक अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो तहसीलदार सांचौर की पत्रावली पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को 91 के संबध में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गोचर है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 55/2015 में तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 55/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर